न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 138 / 2018 **दायरा दिनांक : 27.08.2018**

उनवान

1– गोरधन पुत्र श्री औंकार, आयु 60 वर्ष, जाति माली, निवासी मन्यागण, तहसील अटरू, जिला बारां

2– धनपाल श्री औंकार, आयु 52 वर्ष, जाति माली, निवासी मन्यागण, तहसील अटरू, जिला बारां

3– केवल श्री औंकार, आयु 47 वर्ष, जाति माली, निवासी मन्यागण, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– श्रवणलाल पुत्र हीरालाल, जाति माली, निवासी मन्यागण, तहसील अटरू, जिला बारां

2– चौथमल पुत्र हीरालाल, जाति माली, निवासी मन्यागण, तहसील अटरू, जिला बारां

3– शाखा प्रबन्धक, हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (वर्तमान में बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) शाखा कटावर, तहसील अटरू, जिला बारां राज0

4– शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू, जिला बारां राज0

5– तहसीलदार साहब अटरू, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से

रेस्पोडेंटगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिससे वाद संख्या – 110/2017 वादीगण का वाद खारिज किया गया।

निर्णय **दिनांक : 17.07.2023**

1– वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि– वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 183, 188 व 136 एल आर एक्ट पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम एवं माल मन्यागण में सैटलमेंट से पूर्व खाता संख्या 4 का खसरा नम्बर मि0 7 की 15 बीघा आराजी वादीगण के पिता औंकार पुत्र चतरा कौम माली, निवासी विजयपुर के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही थी। उक्त आराजी वादीगण के पिता को दिनांक 30.07.1963 को अलोट हुई थी तब से ही पूर्व में वादीगण के पिता एवं उनके मरने के पश्चात् स्वयं वादीगण उक्त आराजी को काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता की अलोटशुदा सम्पूर्ण 15 बीघा आराजी एक ही जगह स्थित थी। नकल पट्टा गैर खातेदारी दिनांक 30.07.1963 व नकल जमाबंदी सम्वत् 2039–2042 व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ सलंग्न है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2—यह कि दौराने सैटलमेंट वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित वादीगण की आराजी के नवीन खसरा नम्बर 39 का रकबा 1.12 हेक्टर बनाये हैं। सैटलमेंट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा सहवन से वादीगण के पिता के उक्त खाते की आराजी 1.28 हेक्टर कम कर दी गई। नकल मिलान क्षेत्रफल एवं नकल जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग वाद पत्र के साथ सलंग्न है।

3— वादीगण के पिता द्वारा उपजिला कलेक्टर, अटरू के यहां वाद पत्र प्रस्तुत करने पर वादीगण का वाद डिक्री होने पर दिनांक 23.09.2004 जर्ये इजराय नामान्तरकरण संख्या 72 तस्दीक हुआ, जिसमें वर्तमान खसरा नम्बर 40 का रकबा 3.77 हेक्टर, किस्म बंजड से वादीगण के पिता औंकार पुत्र चतरा, जाति माली के 1.28 हेक्टर आराजी खाते दर्ज कर दी गई, जिसके 587/40 नये खसरा नम्बर बने, जो वादी की पूर्व आराजी से दूर है एवं तत्पश्चात् नवीन जमाबंदी संवत 2065—2068 में वादीगण के हिस्से में खाता संख्या 12 का खसरा नम्बर 39 रकबा 1.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 587/40 का रकबा 1.28 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 हेक्टर आराजी दर्ज हुई। नकल नामान्तरकरण संख्या 72, नकल जमाबंदी सम्वत् 2016—2064 खाता संख्या 1, नकल जमाबंदी सम्वत 2061—2064, खाता संख्या 10 व नकल जमाबंदी सम्वत 2065—2068 व मिलान क्षेत्रफल तथा नक्शाट्रेस वाद पत्र के साथ सलंग्न है।

4— सैटलमेंट से पूर्व वादीगण के पिता के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी मि0 खसरा नम्बर 7 रकबा 15 बीघा थी जो दौराने सैटलमेंट खसरा नम्बर 39 रकबा 1.12 हेक्टर की गई जो वादीगण के पिता की आराजी में से कुल 1.28 हेक्टर कम करे दी गई एवं बाद में खसरा नम्बर 40 में से 1.28 हेक्टर आराजी वादीगण के पिता के खाते दर्ज कर दी गई। जबकि वादीगण के पिता का एवं उनकी मृत्यु के

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बाद वादीगण का कब्जा एवं काश्त शुरू से ही एवं वर्तमान में खसरा नम्बर 39 पर चला आ रहा है। वादीगण की आराजी एक ही जगह है। लेकिन सैटलमेंट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा वादीगण की आराजी कम कर दी गई है और अन्यत्र कर दी गई है। जबकि वादीगण का मौके पर शुरू से ही खसरा नम्बर 39 पर कब्जा काश्त बेरोकटोक चला आ रहा है । वादीगण सैटलमेंट विभाग द्वारा सहवन से हुई गलती को दुरूस्त करवाना चाहता है एवं खसरा नम्बर 39 रकबा 1.12 हेक्टर की जगह खसरा नम्बर 39 रकबा 2.40 हेक्टर करवाना चाहता है, जिसके वादीगण अधिकारी है।

5– वर्तमान में खसरा नम्बर 38 प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के कब्जे काश्त में चल रहा है। वादीगण की आराजी सैटलमेंट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा सहवन से कम करने से प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 आये दिन वादीगण की आराजी में घुस जाते हैं एवं वादीगण की कब्जे एवं काश्त की आराजी को हड़पने की कोशिश करते हैं एवं लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा होते हैं जिससे वादीगण को काश्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं वादीगण की आराजी सैटलमेंट विभाग द्वारा कम कर देने से प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी पर अवैधानिक तरीके से कब्जा करने की कोशिश करते हैं। दिनांक 13.06.2017 प्रतिवादीगण 1 व 2 आये और वादी की आराजी पर कब्जा करने की कोशिश कीम वादीगण ने मना किया कि हम हमेशा से ही यहां पर काश्त करते चले आ रहे हैं एवं पूर्व में हमारे पिताजी यहां काश्त करते थे एवं वर्तमान में हम वादीगण काश्त करते हैं लेकिन प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 नहीं माने और लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुए जिस कारण यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6– यह कि बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है अगर प्रतिवादीगण कम 1 व 2 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये और वादीगण को अपनी आराजी से बेदखल कर दिया एवं जबरन दादागिरी के बल पर कब्जा कर लिया तो वादीगण को अपने स्वामित्व व कब्जे की आराजी से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा।

7– इस कारण वादीगण वाद पत्र पेश कर निवेदन करते हैं कि सैटलमेंट विभाग द्वारा सहवन से हुई गलती मि0 खसरा नम्बर 7 रकबा 15 बीघा की जगह खसरा नम्बर 39 का रकबा 1.12 हेक्टर कर दिया गया है जिसे दुरूस्त करवाकर वादीगण खसरा नम्बर 39 रकबा 1.12 हेक्टर की जगह खसरा नम्बर 39 रकबा 2.40 हेक्टर दर्ज करवाकर उसमें वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं मौके पर पैमाईश करवाकर कब्जा वादीगण को संभलाया जावे एवं इसका राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे एवं प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे सैटलमेंट विभाग द्वारा सहवन से हुई गलती के आधार पर वादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा न करें ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण कम 1 व 2 करें ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

8– यह कि राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से एवं वाद आवश्यक प्रकृति का होने से श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय को नोटिस दिये बिना ही वाद 80 (2) सी. पी. सी. के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। जिसे स्वीकार कर वाद की सुनवाई करने की कृपा करें।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

9– यह कि खातेदारान द्वारा आराजी प्रतिवादीगण कम 3 व 4 के यहां रहन रखने से उन्हें आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी कम 3 व 4 बनाया गया है।

10– यह कि राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से एवं वाद घोषणात्मक स्थायी निषेधाज्ञा का होने से प्रतिवादीगण कम 4 श्रीमान् तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

11– यह कि वाद कारण प्रथम बार दिनांक 13.06.2017 को प्रतिवादीगण कम 1 व 2 द्वारा वादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने पर तथा अंतिम बार दिनांक 11.07.2017 को आराजी की नकले प्राप्त करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ।

12– अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण कम 1 व 2 निम्न आवश्यक की पारित की जावे कि –

13– यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 39 का रकबा 1.12 हेक्टर कि जगह खसरा नम्बर 39 का रकबा 2.40 हेक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे कि मौके पर पैमाईश करवाकर वादीगण को कब्जा संभलाया जावे।

14– यह कि बैंक से जिस खातेदार ने ऋण ले रखा है उसके ऋण का नोट अंकित जावे।

15– प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि सैटलमेंट विभाग द्वारा सहवन से हुई गलती

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के आधार पर आराजी पर जबरन कब्जा न करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

16– प्रतिवादीगण क्रम 5 को आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि सैटलमेंट विभाग द्वारा सहवन से हुई गलती के आधार पर प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के मिलकर वादीगण को अपने कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने की कोशिश न करें।

17– अगर दौराने वाद प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 वादीगण की आराजी पर जबरन दादागिरी के बल पर कब्जा कर ले तो कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे।

18– अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि – पत्रावली आज न्याय आपके द्वारा केम्प कोर्ट कटावर में पेश हुई। उभयपक्षकार उपस्थित। वादीगण द्वारा वाद पेश कर कथन किया गया कि ग्राम एवं माल मन्यागण में सैटलमेंट से पूर्व खाता संख्या 4 का खसरा नम्बर मि. 7 की 15 बीघा आराजी वादीगण के पिता औंकार पुत्र चतरा कोम माली, निवासी विजयपुर के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही थी। उक्त भूमि वादीगण के पिता को दिनांक 30.07.1963 को अलोट हुई थी तब से ही पूर्व में वादीगण के पिता की अलोटशुदा सम्पूर्ण 15 बीघा आराजी एक ही जगह स्थित थी। नकल पट्टा गैर खातेदारी दिनांक 30.07.1963 व नकल जमाबंदी सम्वत 2039–2042 व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ सलंग्न है।

19– दौराने सैटलमेंट वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित वादीगण की आराजी के नवीन खसरा नम्बर 39 का रकबा 1.12 हेक्टर बनाये हैं, सैटलमेंट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा सहवन से वादीगण के पिता के उक्त खाते की आराजी 1.28 हेक्टर कम कर दी गई। नकल मिलान

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्षेत्रफल एवं नकल जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग वाद पत्र के साथ सलंग्न है।

20– वादीगण के पिता द्वारा उप जिला कलेक्टर महोदय, अटरू के यहां वाद पत्र प्रस्तुत करने पर वादीगण का वाद डिक्री होने पर दिनांक 23.09.2004 जर्ये इजराय नामा0 72 तस्दीक हुआ जिसमें वर्तमान खसरा नम्बर 40 का रकबा 3.77 हेक्टर किस्म बंजड़ से वादीगण के पिता औंकार पुत्र चतरा माली के 1.28 हेक्टर आराजी खाते दर्ज कर दी गई जिसके 587/40 नये खसरा नम्बर बने जो वादी की पूर्व आराजी से दूर है, एवं तत्पश्चात् नवीन जमाबंदी सम्वत 2065–2068 में वादीगण के हिस्से में खाता संख्या 12 का खसरा नम्बर 39 का 1.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 587/40 का रकबा 1.28 हेक्टर कुल किता 2 का रकबा 2.40 हेक्टर आराजी दर्ज हुई है, नकल नामा. संख्या 72 नकल जमाबंदी सम्वत 2016–2064 खाता संख्या 1 नकल जमाबंदी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 10 व नकल जमाबंदी सम्वत 2065–2068 व मिलान क्षेत्रफल तथा नक्शाट्रेस वाद पत्र के साथ सलंग्न है जो काबिल गौर है।

21– सैटलमेंट से पूर्व वादीगण के पिता के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी मि. खसरा नम्बर 7 का रकबा 15 बीघा थी जो दौराने सैटलमेंट खसरा नम्बर 39 का रकबा 1.12 हेक्टर की गयी जो वादीगण के पिता की आराजी में से कुल 1.28 हेक्टर कम कर दी गई एवं बाद में खसरा नम्बर 40 में से 1.28 हेक्टर आराजी वादीगण के पिता के खाते दर्ज कर दी गई जबकि वादीगण के पिता का एवं उनकी मृत्यु के बाद में वादीगण का कब्जा एवं काश्त शुरू से ही एवं वर्तमान में खसरा नम्बर 39 पर चला आ रहा है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

22— वादीगण की आराजी एक हीजगह है, लेकिन सैटलमेंट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा वादीगण की आराजी कम कर दी गई है और अन्यत्र कर दी गई है, जबकि वादीगण का मौके पर शुरू से ही खसरा नम्बर 39 पर कब्जा काश्त बेरोकटोक चला आ रहा है। वादीगण सैटलमेंट विभाग द्वारा सहवन से हुई गलती को दुरूस्त करवाना चाहता है एवं खसरा नम्बर 39 का रकबा 1.12 हेक्टर की जगह खसरा नम्बर 39 का रकबा 2.40 हेक्टर करवाना चाहता है जिसके वादीगण अधिकारी है।

23— वाद पेश कर वाद पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 39 रकबा 1.12 हेक्टर की जगह खसरा नम्बर 39 का रकबा 2.40 हेक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे एवं मौके पर पैमाईश करवाकर वादीगण को कब्जा संभलाया जावे।

24— प्रतिवादी क्रम 5 राजस्थान सरकार तहसीलदार अटरू से जवाबदावा किया गया जिसमें कथन किया गया कि वादी का कथन स्वीकार है दिनांक 30.07.2018 को उनके पिता औंकार पुत्र चतरा माली निवासी विजयपुर मजरा कटावर के नाम आवंटित हुई थी जिसका बन्दोबस्त से पूर्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 7 रकबा 15 बीघा सम्वत 2039 में खाता संख्या 4 पर अमल दरामद है। वाद पत्र की बिन्दु संख्या 2 स्वीकार है, बिन्दु संख्या 3 प्रकरण संख्या 29/02 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 07.05.2004 के द्वारा कमी 1.28 हेक्टर खसरा नम्बर 40/1 पूर्ति कर दी गई है। बिन्दु संख्या 4 जमाबंदी संख्या 2065— 2068 खाता संख्या 12 खातेदार औंकार, चतरा माली फोत हो जाने पर उसके वारिसान गोरधन, धनपाल, केवले पि0 औंकार, जाति माली सा. देह के नाम वर्तमान रेकार्ड में खसरा नम्बर 39 रकबा 1.12

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हेक्टर, खसरा नम्बर 587/40 रकबा 1.28 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 2.40 हेक्टर की पूर्ति की गई है।

25– अतः किसी भी प्रकार की रकबा दुरूस्ती नहीं की जा सकती। प्रकरण निरस्त योग्य है।

26– पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पूर्व निर्णय दिनांक 07.05.2004 के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष पूर्व में प्राप्त कर चुका है। वादी पुनः वाद लाने का अधिकारी नहीं है।

27– उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है, डिक्री पर्चा जारी हो।

28– इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

29– यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2018 विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है।

30– यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का अवलोकन किये बिना एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य लिये बिना, उक्त प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया, जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध एवं अवैधानिक है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

31– उक्त प्रकरण में विवादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता को अलॉट हुई थी, तथा बाद अलॉटमेंट से ही अपीलांट के पिता एवं उनके देहावसान के पश्चात् अपीलांट्स का कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलांट काश्त करते चले आ रहें हैं, परन्तु सैटलमेंट के पश्चात्

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सैटलमेंट विभाग द्वारा खसरा नम्बर मिन नं. 7 की 15 बीघा आराजी का नया नम्बर 39 कर दिया तथा रकबा 1.12 हेक्टर दर्ज कर दिया, जबकि मिन नं. 7 की कुल आराजी करीब 300 बीघा से भी अधिक थी, परन्तु फिर भी सैटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर अपीलांट्स की आराजी 1.28 हेक्टर कम कर दी, तथा अपीलांट्स के पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सन् 2002 में वाद प्रस्तुत करने पर उक्त आराजी की पूर्ति खसरा नम्बर 40 रकबा 3.77 हेक्टर किस्म बंजड में से 1.28 हेक्टर आराजी वादीगण के पिता के खाते दर्ज कर दी, जिसके खसरा नम्बर 587/40 बनाये गये हैं।

32– जबकि अपीलांट्स की आराजी की कमी पूर्ति खसरा नम्बर 39 के लगवा आराजी से ही की जानी चाहिए थी, क्योंकि उक्त आराजी मौके पर मौजूद थी और उक्त सम्पूर्ण आराजी 15 बीघा पर ही अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु अपीलांट्स की आराजी से लगवा आराजी को रेस्पोडेंट कम 1 व 2 के खाते दर्ज कर देने के कारण रेस्पोडेंट कम 1 व 2 आये दिन अपीलांट्स के कब्जे काश्त की आराजी में दखल अन्दाजी करते चले आ रहे हैं। जबकि अपीलाट्स प्रारम्भ से ही उनके पिता को अलॉट हुई आराजी पर काबिज काश्त है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

33– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया कि अपीलांट्स के पिता द्वारा पूर्व में जो वाद प्रस्तुत किया गया था, वह वाद आराजी की कमी पूर्ति बाबत प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के पश्चात् रेस्पोडेंट कम 5 द्वारा उक्त आराजी की कमी पूर्ति अपीलांट की कृषि आराजी से दूर बंजड भूमि में से कर दी गई, जबकि उक्त आराजी की कमी पूर्ति अपीलांट्स की आराजी से लगवा भूमि से की जा सकती थी तथा जिस पर अपीलांट्स

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

का कब्जा भी है, परन्तु रेस्पोडेंट कम 5 द्वारा अपीलांट्स की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उक्त आराजी का वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया तथा इसी कारण से उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलांट्स के पिता के पक्ष में खोल दिया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद के पश्चात् अन्य वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं मानकर वादीगण का वाद खारिज फरमाते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जो खारिज किये जाने योग्य है।

34— अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट्स की आराजी की कमी पूर्ति अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि से ही की जानी चाहिए थी तथा रेस्पोडेंट्स कम 1 व 2 को अन्य कृषि भूमि अलॉट की जानी चाहिए थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं करके कानूनी त्रुटि की गई है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जाने योग्य है।

35— अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2018 निरस्त फरमाई जावे एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में चाही गई सहायतानुसार वाद डिक्री फरमाया जावे।

36— अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.08.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

37— अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

38– हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया।

39– अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत् दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

40– हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

41– अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादीगण चाहा गया अनुतोष पूर्व में प्राप्त कर चुका है। वादी पुनः वाद लाने का अधिकारी नहीं है।

42– तहसीलदार अटरू ने जवाबदावे में कथन किया गया कि जमाबंदी संख्या 2065– 2068 खाता संख्या 12 खातेदार औंकार, चतरा माली

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

फोत हो जाने पर उसके वारिसान गोरधन, धनपाल, केवल पि0 औंकार, जाति माली सा. देह के नाम वर्तमान रेकार्ड में खसरा नम्बर 39 रकबा 1.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 587/40 रकबा 1.28 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 2.40 हेक्टर की पूर्ति कर दी गई है। अतः किसी भी प्रकार की रकबा दुरूस्ती नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

43— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

44— निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/7/2023

(डॉ0 अनुपमा टैलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– गोरधन पुत्र श्री औंकार, आयु 60 वर्ष, जाति माली, निवासी मन्यागण, तहसील अटरू, जिला बारां
2– धनपाल श्री औंकार, आयु 52 वर्ष, जाति माली, निवासी मन्यागण, तहसील अटरू, जिला बारां
3– केवल श्री औंकार, आयु 47 वर्ष, जाति माली, निवासी मन्यागण, तहसील अटरू, जिला बारां

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1– श्रवणलाल पुत्र हीरालाल, जाति माली, निवासी मन्यागण, तहसील अटरू, जिला बारां
2– चौथमल पुत्र हीरालाल, जाति माली, निवासी मन्यागण, तहसील अटरू, जिला बारां
3– शाखा प्रबन्धक, हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (वर्तमान में बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) शाखा कटावर, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
4– शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू, जिला बारां राज0
5– तहसीलदार साहब अटरू, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 138/2018 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, अटरू
मु.द.नं0 110/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक – 08.05.2018

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 20 माह 06 सन् 2023

हाजरी **श्री जितेन्द्र चौरसिया** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, रेस्पोडेंटगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 17 माह 07 सन् 2023 को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)